

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 20 - 8 - 18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से विमुक्त NHM अन्तर्गत Health Strengthening under NRHM एवं RCH Flexible Pool मद में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 100.38 करोड़ (एक अरब अड़तीस लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 66.92 करोड़ (छियासठ करोड़ बानवे लाख रुपये) अर्थात् कुल रुपये 167.30 करोड़ (एक अरब सड़सठ करोड़ तीस लाख) सहायक अनुदान राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त आवंटन ।

आदेश: स्वीकृत ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से विमुक्त NHM अन्तर्गत Health Strengthening under NRHM एवं RCH Flexible Pool मद में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 100.38 करोड़ (एक अरब अड़तीस लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 66.92 करोड़ (छियासठ करोड़ बानवे लाख रुपये) अर्थात् कुल रुपये 167.30 करोड़ (एक अरब सड़सठ करोड़ तीस लाख) सहायक अनुदान के रूप में राज्य स्वास्थ्य समिति को विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-352(10), दिनांक-23.07.2018 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। तदक्रम में सहायक अनुदान मद में राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त आवंटन दी जाती है।

2. राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक-2457, दिनांक-09.07.2018 के द्वारा उपलब्ध कराये गये NHM अंतर्गत Health Strengthening under NRHM एवं RCH Flexible Pool में विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु अनुमोदित बजट के अनुरूप केन्द्रांश मद में रुपये 100.38 करोड़ (एक अरब अड़तीस लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 66.92 करोड़ (छियासठ करोड़ बानवे लाख रुपये) अर्थात् कुल रुपये 167.30 करोड़ (एक अरब सड़सठ करोड़ तीस लाख) विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से विभिन्न आवंटनादेशों द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत है :-

Details of fund received from Govt. of India				
S.N	Letter no & date	Amount (Central Shares) 60%	State Shares 40%	Total
RCH Flexible pool				
1	G27034/4/2018-NHM-F-1, 13-03-18	108900000	72600000	181500000
2	G27034/4/2018-NHM-F-1, 21-03-18	700000	466667	1166667
3	G27034/4/2018-NHM-F-3, 21-03-18	7400000	4933333	12333333
4	G27034/4/2018-NHM-F-2, 21-03-18	2500000	1666667	4166667
5	G27034/4/2018-NHM-F-1, 23-03-18	54300000	36200000	90500000
6	G27017/38/2017-NHM-F, 31-03-18	665200000	443466667	1108666667
	Total-(A)	839000000	559333333	1398333333
Health System Strengthening under NRHM				
1	G.27017-18-2017-NHM-F/5,30-03-18	164800000	109866667	274666667
	Total-(B)	164800000	109866667	274666667
	Total-(A+B)	1003800000	669200000	1673000000

3. केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:-

(क) केन्द्रांश:-

(i) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय-उप शीर्ष-0203-एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031100203, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रुपये 1,12,33,48,000/-में से कुल रुपये 1,00,38,00,000/- (एक अरब अड़तीस लाख रुपये) से विकलनीय होगा।

(ख) राज्यांश:-

(i) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 0303-एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031100303, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रुपये 50,10,00,000/-में से कुल रुपये 50,10,00,000/- (पचास करोड़ दस लाख रुपये) एवं विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि रुपये 2,00,40,00,000/-में से रुपये 16,82,00,000/- (सोलह करोड़ बेरासी लाख रुपये) से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता-PLA-263 विपत्र कोड-K8448001200027 में सुलभ करायेगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे।

6. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8244, दिनांक-02.08.2010 की कड़िका-2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

7. यह आवंटनादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों एवं वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

9. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी।

10. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-10/यो0-1-01/2015 (पार्ट)-.....07.....(10)A/स्वा0, पटना, दिनांक- 20-8-18



प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी(compilation section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं०-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी(compilation section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम नं०-523-सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10 एवं प्रशाखा-10 के सभी सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


 सरकार के विशेष सचिव ।


राज्यांश-(2018-19)

क्र०	विपत्र कोड	उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	शेष राशि	अभ्युक्ति
1	20-2210012000309	(31 04) 33,40,80,000 (31 06) 1,30,60,86,000	-	-	33,40,80,000 1,30,60,86,000	
2	20-2210017890301	(31 04) 12,22,22,000 (31 05) - (31 06) 48,88,85,000	-	-	12,22,22,000 - 48,88,85,000	
3	20-2210017960319	(31 04) 1,26,39,000 (31 05) - (31 06) 3,55,50,000	-	-	1,26,39,000 - 3,55,50,000	
4	20-2210031100303	(31 04) 50,10,00,000 (31 06) 2,00,40,00,000	-	50,10,00,000 16,82,00,000	0.00 1,83,58,00,000	
5	20-2210037890301	(31 04) 18,33,00,000 (31 05) - (31 06) 73,33,29,000	18,33,00,000 - 5,80,00,000	- - -	0.00 - 67,53,29,000	
6	20-2210037960302	(31 04) 2,14,58,000 (31 05) - (31 06) 5,58,33,000	-	-	2,14,58,000 - 5,58,33,000	
7	20-4210012000301	-	-	-	-	
8	20-4210021100303	-	-	-	-	
9	20-4210020510105	-	-	-	-	
	Total	5,79,83,82,000	24,13,00,000	66,92,00,000	4,88,78,82,000	

केन्द्रांश (2018-19)

क्र०	विपत्र कोड	उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	शेष राशि	अभ्युक्ति
1	20-2210012000209	(31 04) 74,88,99,000 (31 06) 2,99,55,95,000	- -	- -	74,88,99,000 2,99,55,95,000	
2	20-2210017890201	(31 04) 25,39,78,000 (31 06) 1,07,59,10,000	- -	- -	25,39,78,000 1,07,59,10,000	
3	20-2210017960219	(31 04) 1,71,24,000 (31 06) 6,84,94,000	- -	- -	1,71,24,000 6,84,94,000	
4	20-2210031100203	(31 04) 1,12,33,48,000 (31 06) 4,49,33,93,000	- -	1,00,38,00,000 -	11,95,48,000 4,49,33,93,000	
5	20-2210037890201	(31 04) 41,09,66,000 (31 06) 1,64,38,66,000	10,16,00,000 -	- -	30,93,66,000 1,64,38,66,000	
6	20-2210037960202	(31 04) 3,56,85,000 (31 06) 13,27,42,000	- -	- -	3,56,85,000 13,27,42,000	
	Total-	13,00,00,00,000	10,16,00,000	1,00,38,00,000	1,18,94,60,000	

07(10)9
20-8-18

Q. 18/2018
सरकार के विशेष सचिव।
N. S. S. S.